राजस्थान—सरकार

कार्यालय, यांत्रिक अभियन्ता (कर्मशाला), खान एवं भू विज्ञान विभाग,
शाही बाग के सामने, हिरण मगरी, सेक्टर—11, उदयपुर (राजस्थान)
दूरभाषः— 0294—2583857 ईमेलः—me.workshopudaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांकः—या.अ. / कशा / प—स्टोर 42A / 2018—19 / 513 दिनांकः 05/02/2019

प्रेषितिः—

श्रीमान नोडल अधिकारी (DMGOMS),
खान एवं भू—विज्ञान विभाग,
केन्द्रिय कार्यालय, उदयपुर (राज.)।

विषय — अनुपयोगी एवं अप्रचलित सामान की नीलामी सूचना विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि इस कार्यालय में रखी हुई अनुपयोगी एवं अप्रचलित सामान (पुस्तकीय मूल्य रूपये 20.99 लाख मात्र) की नीलामी दिनांक 07 / 03 / 2019 को प्रातः 11 बजे कार्यालय परिसर में रखी गई है। उक्त नीलामी सूचना व शर्ते इस पत्र के साथ विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एन. के. जोनवाल)
यांत्रिक अभियन्ता(कर्मशाला)
खान एवं भू विज्ञान विभाग
उदयपुर

क्रमांकः—सम दिनांकः—

प्रतिलिपि —निम्न को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), के.का. उदयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन—जयपुर / उदयपुर / जोधपुर / कोटा / जयपुर (सर्त)।
3. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक (भूविज्ञान) जोन—उदयपुर / जयपुर / जोधपुर / कोटा / बीकानेर / मुख्यालय।
4. श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक एवं छिद्रण) उदयपुर / बीकानेर।
5. श्रीमान् अधीक्षण भूवैज्ञानिक, रीजन—जयपुर / जोधपुर / ट्राईबल—उदयपुर / फास्फेट—उदयपुर / बीकानेर / जैसलमेर / भरतपुर / अजमेर / कोटा / भीलवाड़ा।
6. श्रीमान् वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, राजसंमद / सिरोही / बाड़मेर / अलवर / कोटा / अजमेर / बासंवाड़ा / चित्तौडगढ / टोंक / करोली / नागौर / जैसलमेर।
7. नोटिस बोर्ड।

(एन. के. जोनवाल)
यांत्रिक अभियन्ता (कर्मशाला)

राजस्थान–सरकार
कार्यालय, यांत्रिक अभियन्ता (कर्मशाला), खान एवं भू विज्ञान विभाग,
शाही बाग के सामने, हिरण मगरी, सेक्टर–11, उदयपुर (राजस्थान)
दूरभाषः– 0294–2583857 ईमेलः–me.workshopudaipur@rajasthan.gov.in

क्रमांक :– या.अ. / कशा / प–स्टोर 42A / 2018–19 / 499 दिनांक 31/01/2019

अनुपयोगी सामान की नीलामी सूचना

इस कार्यालय में वाहनों व मशीनरीज के अनुपयोगी एवं अप्रचलित सामान पुस्तकीय मूल्य रू. 20.99 लाख (बीस लाख निन्यानवें हजार रू. मात्र) की नीलामी दिनांक 07 / 03 / 19 को प्रातः 11 बजे कार्यालय परिसर में रखी गई है। इच्छुक बोलीदाता धरोहर राशि रू. 42000 / – (बियालीस हजार रू. मात्र) जमा करवाकर बोली में भाग ले सकते है। नीलामी की अन्य शर्ते कार्यालय सूचना पट्ट एवं विभागीय वेबसाईट mines.rajasthan.gov.in तथा dipr.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध होगी।

यांत्रिक अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग
उदयपुर, (राज.)

राजस्थान–सरकार
कार्यालय, यांत्रिक अभियन्ता (कर्मशाला), खान एवं भू विज्ञान विभाग,
शाही बाग के सामने, हिरण मगरी, सेक्टर–11, उदयपुर (राजस्थान)
दूरभाषः– 0294–2583857 ईमेल:–me.workshopudaipur@rajasthan.gov.in

नीलामी दिनांक :– 07/03/2019

–ःनीलामी की शर्तेः–

1. बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व धरोहर राशि नगद जमा करानी होगी।
2. नीलामी विज्ञप्ति में बताई गई धरोहर राशि बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व नगद जमा कराने पर ही उसकी बोली मान्य होगी। बिना धरोहर राशि के बोली लगाने पर वह बोली मान्य नहीं होगी। सफल बोलीदाता यदि एक चौथाई राशि उसी समय जमा करा देता है तो सभी बोलीदाताओं की धरोहर राशि नीलामी समापन पर लौटाई जा सकेगी अन्यथा सफल बोलीदाता एवं दो उच्च बोलीदाताओं को नीलामी समापन पर राशि नहीं लौटाई जावेगी।
3. सफल बोलीदाता को बोली की एक चौथाई राशि तत्काल जमा करानी होगी। इस चौथाई राशि के तत्काल जमा न कराने पर उक्त सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जब्त की जायेगी तथा कमेटी यदि चाहेगी तो निकटतम आगामी अर्थात द्वितीय बोलीदाता की बोली स्वीकार कर उसे चौथाई राशि जमा कराने को निर्देशित करेगी। यदि वह भी चौथाई राशि जमा नहीं करायेगा तो उसकी जमा धरोहर राशि जब्त कर कमेटी तृतीय बोलीदाता की बोली स्वीकार कर उसे चौथाई राशि जमा कराने को निर्देशित करेगी। यदि वह भी चौथाई राशि जमा नही करायेगा तो कमेटी उसकी जमा धरोहर राशि जब्त कर सकेगी। इसके पश्चात पुनः नीलामी की कार्यवाही की जा सकेगी।
4. सफल बोलीदाता को नीलामी समापन तिथि से सात दिन की अवधि में शेष तीन चौथाई राशि (3/4) राशि एवं बोली पर देय GST जमा कराने के बाद ही नीलामी की सामग्री की सुर्पुदगी की जावेगी। सात दिन की अवधि के पश्चात 200/–(दौ सौ रुपया) प्रति दिन की दर से ग्रुप भण्डार प्रभार के रुप में जमा कराने होगें। नीलामी सामग्री कार्य दिवस में कार्यालय से उठानी होगी। नीलामी तिथि से 15 दिन की अवधि में सामान न उठाने पर सम्पूर्ण राशि जब्त की जायेगी। तथा सामान पुनः नीलाम किया जावेगा।
5. GST विभाग में प्रचलित नियमों के अनुसार अलग से जमा करवाना होगा।
6. किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा एवं उसका निर्णय मान्य होगा।
7. सभी सामान जैसा है, जहाँ है, हालत में नीलाम किये जायेंगे।
8. नीलामी के समय किसी भी प्रकार की अशान्ति पैदा करने पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
9. किसी प्रकार के विवाद में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं सामान्य राजकीय नियम मान्य होंगे।
10. नीलामी सामग्री का लोट बनाने, उसमें परिवर्तन करने में नीलामी समिति को पूर्ण अधिकार होगा।
11. न्यूनतम बोली को कम/ज्यादा करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा।
12. वाजिब बोली/दर प्राप्त होने पर ही नीलामी छोडी जायेगी। वाजिब दर सम्बन्धी अन्तिम निर्णय समिति का मान्य होगा।
13. यदि उक्त दिनांको को अपरिहार्य कारणों से नीलामी नहीं हो पाती है तो उसके अगले कार्य दिवस पर नीलामी की जावेगी।
14. समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर होगा।
15. नीलामी में भाग लेने वाला बोलीदाता जी.एस.टी. में रजिस्टेशन होना चाहिए।

यांत्रिक अभियन्ता
खान एवं भूविज्ञान विभाग
उदयपुर, राजस्थान